

भारत के समुद्री कानूनों के आधुनिकीकरण के लिये वधियक

स्रोत: TH

चर्चा में क्यों?

संसद ने वाणजिय पोत परविहन वधियक, 2025, समुद्र माल दुलाई वधियक, 2025 और तटीय नौवहन वधियक, 2025 पारति किये हैं, जिनका उद्देश्य पुराने औपनिवेशिक युग के कानूनों को बदलकर भारत के समुद्री कानूनी ढाँचे का आधुनिकीकरण करना है।

हाल ही में पारति समुद्री वधियकों के प्रमुख प्रावधान क्या हैं?

- **तटीय नौवहन वधियक, 2025:**
 - इसने **वाणजिय पोत परविहन अधिनियम, 1958** में संशोधन किया और वैश्विक जलपोत परविहन मानदंडों के अनुरूप कानूनी ढाँचे का आधुनिकीकरण किया।
 - इसका लक्ष्य सरल लाइसेंसिंग और वदेशी पोत वनियमन के साथ वर्ष 2030 तक तटीय कार्गो को 230 मिलियन टन तक बढ़ाना है।
 - इसमें वदेशी नरिभरता में कमी लाने, आपूर्ति सुरक्षा बढ़ाने, रोजगार और व्यापार को आसान बनाने का प्रावधान है।
 - यह एक **राष्ट्रीय तटीय और अंतरदेशीय नौवहन रणनीतिक योजना** तथा एक **राष्ट्रीय डाटाबेस** बनाने को अनिवार्य करता है, ताकि बुनियादी ढाँचा योजना, पारदर्शिता और नविशकों के विश्वास को बढ़ाया जा सके।
- **वाणजिय पोत परविहन वधियक, 2025:**
 - इसने पुराने **वाणजिय पोत परविहन अधिनियम, 1958** को प्रतस्थापति किया है, जिससे भारत के समुद्री कानूनों को **अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO)** के कन्वेंशनों के अनुरूप स्पष्टता और अनुपालन की सुगमता के साथ संरेखित किया गया है।
 - इसका उद्देश्य समुद्री सुरक्षा मानकों, आपातकालीन प्रतिक्रिया, पर्यावरण संरक्षण और नाविकों के कल्याण को सुदृढ़ करना है, साथ ही इंडियन शिपिंग टनेज और भारत की वैश्विक समुद्री प्रतषिठा को बढ़ावा देना है।
 - यह केंद्र सरकार को **भारतीय जलक्षेत्र में राष्ट्रीयता या कानूनी ध्वज अधिकार** के बिना जाहाजों को रोकने का अधिकार प्रदान करता है, जिससे **समुद्री सुरक्षा को मजबूत** किया जा सके तथा भारत की **आर्थिक व वाणजिय महत्वाकांक्षाओं का समर्थन** करने वाला भविष्य-उन्मुख कानूनी ढाँचा तैयार हो सके।
- **समुद्री माल परविहन वधियक, 2025:**
 - इसके द्वारा **भारतीय समुद्र माल दुलाई अधिनियम, 1925** को प्रतस्थापति कर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत **हेग-विस्वी नयिम (1924)** और उनके संशोधनों को अपनाया गया, जिससे समुद्री व्यापार के लिये एक वैश्विक मानक स्थापति हुआ।
 - **हेग-विस्वी नयिम, 1924** द्वारा समुद्र माल दुलाई को नयित्प्रति किया जाता है, जिसमें वाहक (Carrier) और प्रेषक (Shipper) के अधिकार तथा माल की हानि या क्षति के लिये उनकी ज़िम्मेदारियों का वविरण होता है।
 - यह **बलि ऑफ लैडिंग** को वनियमित करता है, जो माल के प्रकार, मात्रा, स्थिति और गंतव्य का वविरण देने वाले दस्तावेज़ होते हैं, ताकि पारदर्शिता और पोत परविहन दक्षता को बढ़ाया जा सके।
 - यह केंद्र सरकार को **बलि ऑफ लैडिंग** से संबंधित नरिदेश जारी करने और नयिमों में संशोधन करने का अधिकार प्रदान करता है, जिससे व्यापार की सुगमता को बढ़ावा मलि और भारत के कानूनों को वैश्विक मानकों व वाणजिय समझौतों के अनुरूप बनाया जा सके।

भारत के समुद्री क्षेत्र की स्थिति क्या है?

- **भारत के समुद्री क्षेत्र की स्थिति:** भारत 16वाँ सबसे बड़ा समुद्री राष्ट्र है, जो प्रमुख वैश्विक शिपिंग मार्गों पर 12 प्रमुख और 200 से अधिक छोटे बंदरगाहों के माध्यम से मात्रा के हिसाब से 95% तथा मूल्य के हिसाब से 70% व्यापार का संचालन करता है।
- **क्षमता और फ्लीट वृद्धि:** प्रमुख बंदरगाहों की कार्गो-हैंडलिंग क्षमता 87% (2014-24) बढ़कर 1,629.86 मिलियन टन हो गई, जिसमें वित्त वर्ष 2023-24 में 819.22 मिलियन टन का संचालन किया गया, फ्लीट में 1,530 पंजीकृत जहाज़ शामिल हैं।
- **वैश्विक रैंकिंग:** **वशिव बैंक के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक 2023** में भारत की रैंक 38वीं है, जबकि भारत वैश्विक रूप से तीसरा सबसे बड़ा जहाज़ पुनर्र्चरणकर्त्ता है (लगभग 30% बाज़ार हस्तिदारी के साथ) और अलंग में सबसे बड़ा शिप-ब्रेकिंग यार्ड है।
- **जहाज़ नरिमाण और नीतगित पहल:** जहाज़ नरिमाण में पछिड़ने के बावजूद, **नई जहाज़ नरिमाण और जहाज़ मरम्मत नीति** के साथ-साथ 100% FDI (बंदरगाह, बंदरगाह नरिमाण एवं रखरखाव परियोजनाओं के लिये स्वचालित मार्ग के तहत), करावकाश व बुनियादी अवसंरचना के उन्नयन जैसी पहलों का उद्देश्य घरेलू क्षमता को बढ़ावा देना है तथा **वित्त वर्ष 2022-23 में नरियात को 451 बिलियन अमेरिकी डॉलर** तक बढ़ाने में सहायता

मली है ।

क्रमांक	प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (Key Performance Indicator)	वर्तमान (2020)	लक्ष्य (2030)
1	ऐसे प्रमुख बंदरगाह जिनकी >300 एमटीपीए (MTPA) माल ढुलाई क्षमता है	-	3
2	भारतीय बंदरगाहों द्वारा संभाले गए इंडियन गुड ट्रांसशिपमेंट का प्रतिशत	25%	>75%
3	PPP/अन्य ऑपरेटरों द्वारा प्रमुख बंदरगाहों पर संभाले गए माल का प्रतिशत	51%	>85%
4	औसत जहाज़ टर्नअराउंड समय (कंटेनर)	25 घंटे	<20 घंटे
5	औसत कंटेनर ड्रवेल टाइम	55 घंटे	<40 घंटे
6	औसत जहाज़ का दैनिक उत्पादन (सकल टन भार में)	16,500	>30,000
7	जहाज़ निर्माण और जहाज़ मरम्मत में वैश्विक रैंकिंग	20+	शीर्ष 10
8	जहाज़ पुनर्चक्रण (Ship Recycling) में वैश्विक रैंकिंग	2	1
9	वार्षिक करूज़ यात्री	4,68,000	>15,00,000
10	वशिवभर में भारतीय नाविकों का हिससा	12%	>20%
11	प्रमुख बंदरगाहों पर नवीकरणीय ऊर्जा का हिससा	<10%	>60%

भारत के समुद्री क्षेत्र में सरकारी पहल

- एक राष्ट्र-एक बंदरगाह परकरथा (ONOP)
- सागर आंकलन- लॉजिस्टिक्स पोर्ट परफॉरमेंस इंडेक्स (LPPI) 2023-24
- भारत ग्लोबल पोर्ट्स कंसोर्टियम
- मैत्री प्लेटफॉर्म (अंतरराष्ट्रीय व्यापार और नियामक इंटरफेस के लिये मास्टर एप्लीकेशन)
- ग्रीन पोर्ट और शिपिंग में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (NCoEGPS)
- मैरीटाइम इंडिया वज़िन 2030
- ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम (GTPP)

और पढ़ें: [भारत के समुद्री क्षेत्र की चुनौतियाँ](#)

[समुद्री बुनियादी अवसंरचना के विकास में तेज़ी लाने के लिये भारत क्या उपाय अपना सकता है?](#)

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

????????

प्रश्न. हदि महासागर नौसेना संगोष्ठी (IONS) के संबंध में नमिनलखिति पर वचिार कीजयि: (वर्ष 2017)

1. INOS का उदघाटन वर्ष 2015 में भारतीय नौसेना की अधयक्षता में भारत में आयोजति कथिा गया था ।
2. INOS एक स्वैच्छकि पहल है जो हदि महासागर क्षेत्र के तटीय राष्ट्रों की नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग को बढाने का प्रयास करती है ।

उपरयुक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (A) केवल 1
(B) केवल 2

- (C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (b)

प्रश्न. 'क्षेत्रीय सहयोग के लिये इंडियन ओशन रमि एसोसिएशन फॉर रीजनल को-ऑपरेशन (IOR-ARC)' के संदर्भ में नमिनलखिति कथनों पर वचिार कीजयि: (2015)

1. इसकी स्थापना हाल ही में घटति समुद्री डकैती की घटनाओं और तेल अधपिलाव (आयल स्पल्स) की दुर्घटनाओं के प्रतकिरयिास्वरूप की गई है ।
2. यह एक ऐसी मैत्री है जो केवल समुद्री सुरक्षा हेतु है ।

उपरयुक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (d)

?????:

प्रश्न. 'नीली क्रांति' को परभाषति करते हुए भारत में मत्स्य पालन की समस्याओं और रणनीतयिों को समझाइये । (2018)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/bills-to-modernise-india-s-maritime-laws>

